न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 59/2020 **दायर दिनांकः 18/03/2020**

उनवान

1. बलवीर उर्फ बाबूलाल उम्र 27 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०) **वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
बाबत नाम दुरस्ती एवं घोषणा

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार

आदेश दिनाकः 09/02/2022

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल महाराजपुरा पटवार क्षैत्र पटना तहसील अटरू की खाता संख्या 102 का ख0नं0 880 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 881 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 882 का रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.53 है0 आराजी वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सवंत 2075 से 2078 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम बाबूलाल पुत्र मोतीलाल नाबालिग वली मोतीलाल दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम बलवीर है तथा वादी की आयु 27 वर्ष है जो बालिग हो चुका है। वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बोर्ड अंकतालिका व ग्राम पंचायत पटना के प्रमाण पत्र में वादी का नाम बलवीर दर्ज है जो सही दर्ज है। दस्तावेजों की छाया प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का गलत नाम बाबूलाल व नाबालिग दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है

तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम बाबूलाल के स्थान पर बलवीर व नाबालिग से बालिग दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी को बालिग व सही नाम दर्ज नहीं किया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। इसलिए वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का सही नाम बलवीर व बालिग दर्ज करवाने का अधिकारी व नॉलिशी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10.02.2020द को पटवार हल्का से जानकारी प्राप्त करने पर व अन्तिम बार दिनांक 22.02.2020 को तहसीलदार साहब अटरू को नाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र देने पर उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल महाराजपुरा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम बाबूलाल के स्थान पर बलवीर व नाबालिग से बालिग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करने की कृपा करे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया । साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित

आराजी में वादी का नाम बाबूलाल के स्थान पर बलवीर व नाबालिग से बालिग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2075 –2078 ग्राम महाराजपुरा के खाता संख्या 102 कुल किता 3 रकबा 0.53 है0 भूमि बाबूलाल पुत्र मोतीलाल हि0 1/2 ना0बा0वली मोतीलाल तथा राकेश पुत्र मोतीलाल हि0 1/2 ना.बा. वली मोतीलाल के खाते दर्ज है। अन्य दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10 वी अंकतालिका प्रदर्श 2 A में वादी का नाम बलवीर नागर पुत्र मोती लाल जन्म दिनांक 29.11.1993 अंकित है। भामाशाह कार्ड प्रदर्श 3 A में वादी का नाम बलवीर दर्ज है, आधार कार्ड प्रदर्श 4 A में वादी का नाम बलवीर नागर पुत्र मोती लाल, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र प्रदर्श 5 A में बलवीर पुत्र मोतीलाल, राशन कार्ड प्रदर्श 6 A में बलवीर पुत्र मोतीलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत पटना के प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 A दिनांक 26.11.2021 के अनुसार बलवीर नागर पुत्र मोतीलाल व बाबूलाल पुत्र मोतीलाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी का सही नाम दर्ज करना उचित प्रतित होता है तथा अंक तालिका में अंकित जन्म दिनांक अनुसार वादी बालिग हो चुका है जिससे वादी को बालिग दर्ज किया जाना उचित है। अतः न्यायहित में साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम महाराजपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 102 का ख0नं0 880 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 881 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 882 का रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.53 है0 में सहखातेदार बाबूलाल पुत्र मोतीलाल के स्थान पर बलवीर उर्फ बाबूलाल पुत्र मोतीलाल तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 59/2020

उनवान

1. बलवीर उर्फ बाबूलाल उम्र 27 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

बाबत नाम दुरस्ती एवं घोषणा

उपस्थिति :-

वादीः- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः- विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम महाराजपुरा तहसील अटरू की खाता संख्या 102 का ख0नं0 880 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 881 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 882 का रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 का रकबा 0.53 है0 में सहखातेदार बाबूलाल पुत्र मोतीलाल के स्थान पर बलवीर उर्फ बाबूलाल पुत्र मोतीलाल तथा नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............................ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.02.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)